न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या– 2017/00619

छीतरलाल पुत्र रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी दीपपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।

– अपीलांट

बनाम

1. घीसी बाई पत्नी रघुनाथ मृतक जरिये कायम मुकामान–
   - 1/1. रमेश चंद पुत्र रघुनाथ जाति मेघवाल निवासी गोरधनपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
   - 1/2. चौथमल पुत्र रघुनाथ जाति मेघवाल निवासी गोरधनपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
   - 1/3. संतोष पुत्री रघुनाथ जाति मेघवाल निवासी गोरधनपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
   - 1/4. मधु पुत्री रघुनाथ जाति मेघवाल निवासी गोरधनपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
   - 1/5. रघुनाथ पुत्र रामलाल जाति मेघवाल निवासी गोरधनपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
2. धन्ना पुत्र देविया जाति मेघवाल निवासी दीपपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
3. गोपाल पुत्र देविया जाति मेघवाल निवासी दीपपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा, जिला कोटा(राज0)।

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–(1). विद्याशंकर गोस्वामी– अधिवक्ता अपीलांट
(2). राकेश कुमार बैरवा– अधिवक्ता रेस्पो0 1/1, 1/2 व 1/5

निर्णय दिनांक 30.05.2023

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 82/2010 मे पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्टगण संख्या 1/1 से 1/4 की माता वादिया घीसी बाई ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम दीपपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा मे वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के शामलाती खाते मे दर्ज चली आ रही है, जो नकल जमाबंदी सम्वत 2063 से 2066 के अुनसार खसरा नम्बर 15 की रकबा 0.51 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 150 की रकबा 0.62 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 196 की रकबा 0.51 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 197 की रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 558 की रकबा 0.35 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 2.70 हैक्टेयर दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम अरण्ड खेड़ा तहसील लाडपुरा स्थित वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के शामलाती खाते मे खसरा नम्बर 1558 की रकबा 1.96 हैक्टेयर भूमि दर्ज चली आ रही है। उपरोक्त भूमियां वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के शामलाती कब्जे काश्त मे चली आ रही है, जिसमे वादिया का 1/3 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 2 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का 1/3 हिस्सा है। वादिया अपने 1/3 हिस्से की भूमि की खातेदार है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 व वादिया के मध्य कडता लगान जमा करने मे विवाद होने लग गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 वादिया से रंजिश रखने लग गये है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 वादिया के कब्जे काश्त की भूमि मे जबरन मदाखलत मजाहमत पैदा नहीं करने पर आमादा रहते है तथा वादिया को उसके हिस्से की भूमि पर काश्त करने नहीं दे रहे है। वादिया ने जब उसको काश्त करने के लिये एवं भूमि का बंटवारा कर वादिया के हिस्से की भूमि को अलग खाते दर्ज कराने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने कहा कि वे वादिया को भूमि पर काश्त नहीं करने देंगे तथा शीघ्र ही भूमि को बिना बंटवारा कराये खुर्द–बुर्द करने की धमकी दी। अन्त मे वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की सम्पूर्ण विवादित आराजीयात का बंटवारा किये जाने का निवेदन किया। साथ ही विवादित आराजीया तमे निहित वादिया के निहित 1/3 हिस्से को विभाजन से अलग किया जाकर वादिया के अलग खाते मे दर्ज करने का निवेदन किया।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 व 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 2 को बावजूद सूचना अनुपस्थित होना बताकर उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही का आदेश प्रदान किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाबदावा मय काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया।

उभय पक्षकारान के अभिवचनों के अनुसार तनकीयात कायम की गई। दिनांक 15.06.2017 को पत्रावली लोक अदालत न्याय आपके द्वारा केम्प अरण्डखेड़ा मे रखी जाकर उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात के विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिकी पारित की गई।

4. अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिकी दिनांक 15.06.2017 से असंतुष्ट होकर अपीलांट की ओर से प्रथम अपील इस न्यायालय मे मियाद बाहर प्रस्तुत की है। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया है। मियाद के बिन्दु पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण संख्या 1/1, 1/2 व 1/5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्टगण सख्या 4 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की।

5. अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किये जाने व अपील अंदर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया है। चूंकि निर्णय अपीलांट या अधिवक्ता अपीलांट की उपस्थिति मे नहीं हुआ अतः न्यायहित मे अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ–पत्र स्वीकार किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

6. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.06.2017 न्याय निर्णय एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। वादग्रस्त भूमि का वाद अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर कोटा के न्यायायल मे जैरकार था, जिसमे जवाबुल जवाब के प्रार्थना पत्र के बाबत बहस हेतु पत्रावली नियत थी, जिसके लिये आगामी तारीख पेशी दिनांक 15.06.2017 नियत थी। उक्त तारीख पेशी को कोई सुनवाई नहीं की गई और कॉज लिस्ट मे आगामी तारीख पेशी दिनांक 28.08.2017 नियत कर दी गई। दिनांक 18.08.2017 को कॉज लिस्ट मे तारीख दिनांक 18.12.2017 नियत कर दी। प्रतिवादी दिनांक

28.08.2017 को कोटा आया एवं अपने अभिभाषक से मिला और न्यायालय मे गया तो वहां पर एक लिस्ट चिपका रखी थी, जिसमे दिनांक 15.06.2017 को उक्त वाद का फैसला अरण्डखेड़ा गावं मे कर दिया जाना बताया, जिसकी कोई सूचना अपीलांट प्रतिवादी को नहीं दी गई। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सूचना दिये ही व अपीलांट को बिना सुने ही एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित कर दी, जो न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय मे वाद कंटेस्टेड था । राजस्व कर्मचारियों ने मिलकर सेटलमेंट मे घीसी बाई का नाम खाते मे अंकित कर दिया। प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट के पिता रामचन्द्र जीवित थे, उनके सामने उनकी मौजूदगी मे विवादित भूमि का विभाजन कर दिया। तब से विवादित भूमियां प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट के कब्जे काश्त मे है। उक्त बंटवारे मे प्रतिवादी संख्या 1 के पिता रामचन्द्र के पक्ष मे अन्यप्रतिवादी रेस्पोडेन्ट ने सभी भूमियों का कब्जा छोड़ दिया था तब से रामचन्द्र काश्त करने लग गया । रामचन्द्र की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट कब्जा काश्त करता हुआ चला आ रहा है। बंटवारे मे पूर्वजों का कब्जा होने के कारण उसको रामचन्द्र ने चुकाया जिस वजह से भूमियों का हक छोड़ा गया हैं इस अहम तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं करके कानूनी गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 ने विवादित भूमियों के बारे मे काउंटर क्लेम पेश किया है। जिसमें रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी का नाम वादग्रस्त आराजी मे से हटाने का क्लेम पेश किया है। जिस पर कोई गौर नहीं किया और ना ही उसकी कोई फाइंडिग दी गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने के कारण काबिले निरस्तनीय है। वादग्रस्त भूमि के बाबत तनकीयात कायम किये जाने तथा शहादत रिकॉर्ड होनी है। वाद रेगुलर न्यायालय मे पेंडिग होने से न्यायालय मे ही सुनवाई की जा सकती है। न्याय आपके द्वार मे तो केवल राजीनामा के आधार पर ही सुनवाई की जा सकती है। न्याय आपके द्वार मे तो केवल राजीनामा के आधार पर ही सुनवाई करने का कानूनी अधिकार है। वाद मे गोबरीबाई पुत्री रामचन्द्र की मृत्यु दिनांक 28.12.2014 को हो चुकी है। जिसका कोई कायम मुकाम रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद अबैट करना चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक पर भी डिक्री पारित की है, जो अवैध व त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1998 पेज 497, 2022 आर.बी.जे. पेज 551 प्रस्तुत किया। अन्त मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2017 को खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

7. अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण संख्या 1/1, 1/2 व 1/5 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/5 की माता वादिया घीसी बाई की ओर से प्रस्तुत बंटवारे व स्थाई निशेधाज्ञा का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। दिनांक 15.06.2017 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प अरण्डखेड़ा मे रखी गई। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात के विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो उभय पक्षकारान के राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार होने से विधि सम्मत है। अन्त मे अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2017 को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

8. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। आदेशिका दिनांक 15.06.2017 मे यह अंकित नहीं है कि पक्षकारों मे कौन–कौन राजस्व लोक अदालत कैम्प अरण्डखेड़ा मे उपस्थित हुआ। पक्षकारों अथवा उनके सम्बंधित अधिवक्तागण की उपस्थिति का कोई अंकन आदेशिका दिनांक 15.06. 2017 मे नहीं है। आदेशिका दिनांक 15.06.2017 पर किसी भी पक्षकार के कोई हस्ताक्षर नहीं है। अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय मे जवाबदावा के साथ ही काउंटर क्लेम भी प्रस्तुत किया है। प्रकरण मे दिनांक 01.10.2013 को कुल 5 तनकीयात कायम की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि लोक अदालत हेतु कोई नोटिस भी जारी नहीं हुए तथा पक्षकारान को इसकी समुचित जानकारी भी उपलब्ध नहीं करवाया जाना प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2017 लोक अदालत की भावना के विपरीत होने व सिविल प्रकिया संहिता के अनिवार्य प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। लोक अदालत मे उन्ही प्रकरणो का निरस्तारण किया जाना विधि सम्मत है, जिनमे उभय पक्षकारान के मध्य राजीनामे की भावना से विधिवत रूप से राजीनामा प्रस्तुत होता है। हस्तगत प्रकरण मे समस्त उभय पक्षकारान के मध्य लोक अदालत के तहत विधिवत रूप से कोई राजीनामा प्रस्तुत नहीं हुआ है, तथा न ही समस्त उभय पक्षकारान लोक–अदालत मे उपस्थित हुए, जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2017 विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 82/2010 मे पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिकी दिनांक 15.06.2017 निरस्त किये जाते है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार , गुणावगुण पर नवीन सिरे से विधिक प्रावधानों के अनुसार निर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 30.06.2023 को उपस्थित रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 30.06.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा